<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-IV (एफएक्यू-IV)</u>

ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो या 'स्कीम')

दिनांक: 2 नवंबर, 2022

1. दिनांक 11.05.2022 के एफएक्यू III के प्रश्न संख्या-1 के उत्तर को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) उन्नत रसायन सेल (एसीसी):

“परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का प्रमाणन वास्तविक लागत के आधार पर सेल मूल्य (बैटरी पावर पैक की असेंबली के लिए आवश्यक) को छोड़कर सामग्री के चालान/कॉस्टेड बिल ऑफ मैटेरियल (बीओएम) पर या बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्स-फैक्ट्री) के मूल्य के अधिकतम 25% और भारत में पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत एसीसी के विनिर्माणकारी सुविधा केंद्रों की स्थापना के साथ सह-समाप्य (को-टर्मिनस) अवधि पर आधारित है”।

(ii) सेमीकंडक्टर्स के घटक (लो पावर आईसी, हाई पावर आईसी और माइक्रोकंट्रोलर):

“परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का प्रमाणन वास्तविक लागत के आधार पर क्रिटिकल सेमीकंडक्टर के घटक (माइक्रोकंट्रोलर, हाई पावर आईसी और लो पावर आईसी) को छोड़कर चालान/कॉस्टेड बिल ऑफ मैटेरियल (बीओएम) या ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स (एई) एएटी घटक के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के अधिकतम **X** % और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पीएलआई सेमीकंडक्टर स्कीम के तहत भारत में सेमीकंडक्टरों के उत्पादन के साथ सह-समाप्य (को-टर्मिनस) अवधि या अन्यथा पर आधारित है। लाभ लेने के इच्छुक आवेदकों को एएटी उत्पाद के प्रौद्योगिकी उन्मुख असेंबली के उप-घटकों के लिए स्कीम अवधि के दौरान गहन स्थानीयकरण हासिल करने के लिए और क्षमता संवर्धन हेतु अपनी योजना के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्कीम प्रस्तुत करनी होती है।

जहां,

X = स्कीम अवधि के पहले तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए 30%

और

X = स्कीम अवधि के अंतिम दो वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए 20%”।

(iii) दुर्लभ खनिज चुंबकीय पदार्थ (आरईएम):

"परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का प्रमाणन दुर्लभ खनिज चुम्बकीय पदार्थ (आरईएम) को छोड़कर सामग्री के चालान/लागत बिल (बीओएम) पर आधारित भारत में आरईएम के उत्पादन तक की अवधि के लिए निम्नानुसार है।

1. हब के साथ एकीकृत ट्रैक्शन मोटर और व्हील रिम के एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 15% मोटर (संबंधित एएटी घटक) या वास्तविक लागत जो भी कम हो।
2. ई-एक्सल और ई-डिफरेंशियल असेंबली के एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 7.5% (संबंधित एएटी घटक) या वास्तविक लागत जो भी कम हो।"

अनुमोदित आवेदक प्रमाणपत्र बाह्य लेखापरीक्षक (लागत या सनदी लेखाकार) द्वारा विधिवत घरेलू मूल्य संवर्धन लागत लेखा परीक्षित और अनुमोदित आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-प्रमाणित पीएलआई ऑटो पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।